तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./1683/2021/राजसमन्द सोहनलाल बनाम राजस्थान सरकार वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26-4-2022	**एकल–पीठ** **श्री खजान सिंह, सदस्य** **---** उपस्थितः श्री अजीत लोढा अधिवक्ता प्रार्थी। श्री करण सिंह उप राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी। श्री योगेन्द्र सिंह अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से। **----** **<u>आदेश</u>** यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या 51/2020 में पारित निर्णय दिनांक 23–02–2021 के विरूद्ध पेश की गई है। 2– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या 2 ने न्यायालय सहायक कलक्टर, राजसमन्द के समक्ष ग्राम मोरवाड़ स्थित कृषि भूमि के विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रतिप वाद के रूप में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। दौराने वाद प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वास्ते मौके का स्थल निरीक्षण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया कि विवादित भूमि पर वादी जो कि प्रभाशाली कम्पनी है, जो माकै व रेकार्ड की स्थिति परिवर्तित करने पर आमादा हो रही है। ऐसी स्थिति में मौके व रिकार्ड की स्थिति को रिकार्ड पर लिया जाए। इसके जवाब में वादी ने जवाब पेश किया कि वादग्रस्त भूमि पर किसका आधिपत्य है, यह साक्ष्य का विषय है, और कमिश्नर को साक्ष्य एकत्रित करने हेतु नियुक्त किया जाना उचित नहीं है। प्रतिवादी येन–केन–प्रकारेण प्रकरण को लम्बा करना चाहता है। अतः मौका कमिश्नर नियुक्त करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाए। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 23–02–2021 द्वारा प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते कमिश्नर नियुक्त किये जाने को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि प्रकरण में उनके द्वारा साक्ष्य एकत्रित करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया था बल्कि वादग्रस्त सम्पति की मौका स्थिति	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./1683/2021/राजसमन्द सोहनलाल बनाम राजस्थान सरकार वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जिसको जानने का उन्हें अधिकार है, के संबंध में मौका कमिश्नर नियुक्त करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था। उनका कथन है कि वादी एक प्रभावशाली कम्पनी है, जो रिकार्ड व मौके की स्थिति परिवर्तित करने पर आमादा है अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रारिम्भक तनकियात पर सुनवाई हेतु नियत था परन्तु न्यायालय ने प्रारिम्भक तनकियों पर निर्णय करने के साथ ही ही प्रार्थना पत्र बाबत मौका कमिश्नर नियुक्त करने का आक्षेपित आदेश दिनांक 23-02-21 में विनिश्चय कर दिया है, जो कि एक गम्भीर कानूनी भूल है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर ध्यान नहीं दिया कि स्वयं वादी ने विभाजन हेतु यह प्रकरण पेश किया है जिसमें मौका रिपोर्ट तलब किये बगैर अन्तिम निर्णय नहीं किया जा सकता। यदि बिना मौका कमिश्नर की रिपोर्ट मंगाये प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण किया जाता है तो ऐसा निर्णय केवल राजस्व मण्डल द्वारा विभाजन के संबंध में बनाये गये नियम 18 से 21 की पूर्ण रूप से उल्लंघना होगी। अन्त में उनका कथन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23-02-2021 निरस्त फरमाया जावे तथा निगराकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते कमिश्नर नियुक्त किये जाने को स्वीकार किया जावे। 4- विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों के मद्देनजर प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत कमिश्नर नियुक्त किये जाने का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया है। 5- विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पर वास्ते मौका कमिश्नर नियुक्त किये जाने, निराधार था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावे। 6- हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश का अवलोकन किया। 7- प्रार्थी/प्रतिवादी सोहनलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत स्थल कमिश्नर की नियुक्ति का यह कथन करते हुए पेश किया गया था कि वादी आर.के. मार्बल प्रा0लि0 एक प्रभावशाली कम्पनी है, जो मौके व रिकार्ड की स्थिति में परिवर्तन कर सकती है, अतः मौका	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी.ए./1683/2021/राजसमन्द सोहनलाल बनाम राजस्थान सरकार वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कमिश्नर नियुक्त कर मौके की स्थिति प्राप्त की जाए। 8– अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलकटर एवं उपखण्ड अधिकारी, राजसमन्द ने प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को मध्य नज़र रखते हुए तथा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 23–02–2022 से प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया है। प्रकरण में वाद विभाजन का है जिसमें हिस्से अनुसार हक निर्धारित किये जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जानी होती है। तत्पश्चात् तहसीलदार के माध्यम से मौका–मुआयना कर नियम 18 से 21 मीट्स एण्ड बाउण्ड्स की पालना करते हुए कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की जाती है। ऐसी स्थिति में पूर्व में मौका कमिश्नर नियुक्त कर रिपोर्ट मंगाना अपेक्षित नहीं है। 9– उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में ऐसी कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं जिसमें निगरानी के जरिए हस्तक्षेप किया जा सके। 10– परिणामतः यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। 11– निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसलशुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही पंजीबद्ध कार्यालय की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(खजान सिंह)** **सदस्य**	